न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 13/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00281)

1. उमराव पुत्र भोलुराम, जाति जाट निवासी जाट बहरोड, तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।
2. सतवीर पुत्र सज्जन सिंह पौत्र भोलुराम,
3. रामनिवास पुत्र सज्जन सिंह पौत्र भोलुराम,
4. देशराम पुत्र सज्जन सिंह पौत्र भोलुराम, जाति जाट, निवासी जाट बहरोड, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
5. तेजवीर सिंह दत्तक पुत्र श्योलाल पौत्र भोलुराम, जाति जाट बहरोड, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेश,
2. सुखवीर,
3. महेश पुत्रान अमर सिंह, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम सानोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

–असल–रेस्पोडेन्टस

4. सन्दीप पुत्र भीम सिंह पौत्र बिहारी लाल,
5. कमलेश पुत्र भीम सिंह पौत्र बिहारी लाल,
6. किताबो बेवा भीम सिंह पुत्रवधू बिहारी लाल, जाति जाट, निवासी जाट बहरोड, जिला अलवर, राजस्थान।
7. ब्रहमप्रकाश पु. सज्जन सिंह पुत्रवधू बिहारी लाल, जाति जाट, निवारी जाट बहरोड, जिला अलवर, राजस्थान।
8. तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, मुण्डावर, जिला अलवर।

– तरतीबी रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर निर्णय दिनांक 13.12.2019 जिसके द्वारा असल–रेस्पोडेन्ट की अपील संख्या 14/1/2015 गलत तरीके परे खिलाफ मनशाये कानून स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 262 दिनांक 30.09.1982 निरस्त किया जो निर्णय निरस्त किये जाने योग्य व अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार है व पट्टा संख्या 262 यथावत रखे जाने योग्य है व अन्य दादरसी।

उपस्थित–

1. श्री विजय सिंह राठौड, वकील अपीलान्ट ।
2. श्री श्यामबाबू पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 3 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. नं. 8 की ओर से

निर्णय

दिनांक –24.09.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर के निर्णय दिनांक 13.12.2019 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर मुण्डावर द्वारा जारी पट्टा संख्या 262 दिनांक 30.09.1982 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर के यहॉ अपील प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर ने अपील अपीलान्ट ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2019 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार कम मैनेजिंग

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

ऑफिसर, मुण्डावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाकर रेकार्ड एवं मौका जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय दिनांक 13.12.2019 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स उमराव पुत्र भोलुराम वगै0 द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय दिनांक 13.12.2019 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि असल–रेस्पोडेन्ट द्वारा एक अपील तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, मुण्डावर द्वारा जारी पट्टा संख्या 262 दिनांक 30.09.1982 के विरूद्ध तहत न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिस अपील में मिन अपीलान्टान को पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही तहत न्यायालय का रिकार्ड ही तलब किया गया और ना ही धारा 5 कानून मियाद अधिनियम व धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निर्णय किया गया और ना ही विधिवत तहत न्यायालय में जो पक्षकार थे उनकी इतलाह कराई गई तथा ना ही मिन अपीलान्टान जो कि रिकार्डेड खातेदार थे उन्हें पक्षकार बनाया गया और गलत तथ्यों के आधार पर तहत न्यायालय ने अपील दिनांक 13.12.2019 को स्वीकार कर पट्टा संख्या 262 दिनांक 30.09.1982 को निरस्त कर दिया। आराजी खसरा नं0 गत 122 रकबा 3 बीघा के हाल नं0 191 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम भुनगडा थेटर मे से रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के काश्तकार खातेदार पट्टेदार बिहारी पुत्र छाजु, जाति जाट, निवासी जाट बहरोड थे। जिसने अपने कब्जे व पट्टे की आराजी के अन्य आराजी के साथ–साथ दिनांक 04.05.1965 को मिन अपीलान्टान के दादा भोलू पुत्र नत्थुराम जाट, निवासी जाट बहरोड को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा विक्रय कर दिया । वक्त खरीद से पूर्व ही मिन अपीलान्टान के दादा विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। जैसा कि सम्वत् 2022 की खसरा गिरदावरी से साबित है। उक्त खसरा नं0 191 रकबा 3 बीघा में से 1 बीघा 10 बिस्वा बिहारी पुत्र नत्थु के कब्जे व पट्टे की आराजी थी। इसलिए उक्त आराजी के अलग नम्बर बना दिये गये। जिसमें 782/191 रकबा 38 एयर मिन अपीलान्ट के दादा के नाम आ गया और खसरा नम्बर 783/191 रकबा 38 एयर असल–रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज कर दिया गया। तहत न्यायालय मे असल–रेस्पोडेन्ट ने 31 साल बाद अपील प्रस्तुत की। जो अपील तहत न्यायालय में मैन्टेनेबल नहीं थी क्योंकि अपील पट्टा 262 दिनांक 30.09.1982 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी जबकि पट्टे के विरूद्ध अपील चलने योग्य नहीं थी। अपील आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की जानी चाहिए थी जो रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। पट्टा संख्या 262 दिनांक 30.09.1982 तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर मुण्डावर के आदेश से जारी किया गया है और तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर मुण्डावर के आदेश को आज तक चैलेन्ज नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में भी अपील खारिज किये जाने योग्य थी। असल–रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील 31 साल बाद 17.06.2013 को प्रस्तुत की गई। जिसके साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र व धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। ये दोनों प्रार्थना पत्र भी तहत न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। जब कानूनन असल–रेस्पोडेन्टस को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत ही प्रदान नहीं की गयी तो अपील का निस्तारण भी तहत न्यायालय को मैरिट पर नहीं करना चाहिए था, लेकिन तहत न्यायालय ने इस अहम कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। सम्वत 2022 से पूर्व ही मिन अपीलान्टान के दादा का नाम राजस्व रिकार्ड मे आज तक चला आ रहा है। जिस राजस्व रिकार्ड को असल–रेस्पोडेन्ट द्वारा जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया गया और अहम तथ्यों को छुपाते हुए तहत न्यायालय में अपील दायर कर अपीलाधीन निर्णय पारित कराया गया है जो उनकी बदनियति पर आधारित है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

सम्वत् 2064 से 2067 की जमाबन्दी में हाल खसरा नं0 782/191 रकबा 38 एयर पर भोलुराम पुत्र नत्थुराम जाट साकिन जाट बहरोड खातेदार दर्ज है और उक्त जमाबन्दी में भोलु की विरासत का इन्तकाल नं0 875 दिनांक 14.01.2008 का इन्द्राज भी किया हुआ है। जिसमें अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम अंकित किया है इसके बावजूद भी अपीलान्टान को तहत न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। असल–रेस्पोडेन्ट को विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध वास्ता सरोकार नहीं है। असल–रेस्पोडेन्ट का खसरा नं0 783/191 रकबा 38 एयर आज भी राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार की हैसियत से दर्ज है लेकिन तहत न्यायालय ने तथ्यों को छुपाकर खसरा नं0 191 व गत खसरा नं0 122 रकबा 3 बीघा पर अपने आप को पट्टेदार बताते हुए अपील दायर की है। जबकि सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में सम्वत 2022 से लेकर आज तक कही पर भी असल–रेस्पोडेन्ट को पट्टेदार या खातेदार दर्ज किया हुआ नहीं है व राजस्व रिकार्ड को नजरअन्दाज करते हुए सारे तथ्यों को छुपाते हुए असल–रेस्पोडेन्ट ने अपील दायर की। जो एक धोखाघडी की तारीफ में आता है। तहत न्यायालय में हम अपीलान्टान आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाये जबकि असल–रेस्पोडेन्ट को यह पूर्णतया जानकारी थी कि विवादित आराजी खसरा नं0 122 रकबा 3 बीघा में से 1 बीघा 10 बिस्वा मिन अपीलान्ट के दादा द्वारा सन् 1965 मे खरीद की गई है और जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन भी नियमानुसार हो रहा है। विद्वान तहत न्यायालय द्वारा भी रिकार्ड तलब न करके अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। असल–रेस्पोडेन्ट ने धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में पटवारी हल्का से जानकारी होना बताया है जबकि तहत न्यायालय में पटवारी हल्का का शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे भी असल–रेस्पोडेन्ट की अपील स्पष्टतया मियाद बाहर थी और मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य थी लेकिन तहत न्यायालय ने ना तो मियाद के बिन्दु का निर्णय किया और ना ही धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निर्णय किया। ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। सम्वत 2022 से पूर्व ही मिन अपीलान्टान के दादा का नाम राजस्व रिकार्ड में आज तक चला आ रहा है। जिस राजस्व रिकार्ड को असल–रेस्पोडेन्ट द्वारा जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया गया और अहम तथ्यों को छुपाते हुए तहत न्यायालय ने अपील दायर अपीलाधीन निर्णय पारित कराया गया है जो उनकी बदनियति पर आधारित है। सम्वत 2064 से 2067 की जमाबन्दी मे हाल खसरा नम्बर 482/191 रकबा 38 एयर पर भोलुराम पुत्र नत्थुराम जाट साकिन जाट बहरोड खातेदार दर्ज है और उक्त जमाबन्दी में भोलु की विरासत का इन्तकाल नं. 875 दिनांक 14.01.2008 का इन्द्राज भी किया हुआ है। जिसमें अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम अंकित किया है इसके बावजूद भी अपीलान्टान को तहत न्यायालय में पक्षकान नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाया जाकर मिन अपीलान्टान को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर दिनांक 13.12.2019 बाबत पट्टा संख्या 262 दिनांक 30.09.1982 निरस्त फरमाया जावे व पट्टा संख्या 262 दिनांक 30.09.1982 बदस्तूर बहाल रखा जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर मुण्डावर के निर्णय सनद पट्टा संख्या 262 दिनांक 30.09.1982 की जानकारी रेस्पोडेन्ट को दिनांक 14.05.2013 को हुई। अपील अंदर मियाद पेश की गयी थी। प्रा.पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पृथक से पेश किया हुआ था। विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 191 रकबा 03 बीघा वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर की आराजी है। जिस आराजी का हम रेस्पोडेन्ट के पिता अमर सिंह पुत्र कन्हीराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर काबिज काश्तकार पट्टेदार/गैर खातेदार था। जो अपने जीवनकाल में उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

5/2/2020

रहे और उनके स्वर्गवास के उपरांत हम रेस्पोडेन्ट काबिज रहकर काश्त करते चले रहे है। हम रेस्पोडेन्ट के नाम जमाबंदी संवत 2035 में पट्टेदार का इन्द्राज हो रहा है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 782/191 रकबा 0.38 है0 व 783/191 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर कायम हुए है। गत खसरा नम्बर 191 रकबा 03 बीघा में से 01 बीघा 10 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 782 /191 रकबा 0.38 है0 को राजस्व रेकार्ड में खिलाफ कानून अपीलान्ट के पिता/पति भीमसिंह ने अपने नाम अंकन करा लिया तथा सनद् पट्टा 262 दिनांक 30.09.1982 अपने नाम जारी कराकर खातेदारी इंतकाल तस्दीक करा लिया। उक्त आराजी का कोई हस्तान्तकरण हम रेस्पोडेन्ट के पिता अमरसिंह ने अपने जीवनकाल में भीमसिंह को नहीं किया। ना ही भीमसिंह उक्त आराजी पर अपने जीवनकाल में कभी काबिज रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे की कोई रिपोर्ट तलब नहीं की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने हाल खसरा नम्बर 782/191 रकबा 0.38 है0 जो साबिक खसरा नम्बर 191 रकबा 0.38 है0 जो साबिक खसरा नम्बर 191 रकबा 03 बीघा मे से बना है, जमाबन्दी संवत 2035 में रेस्पोडेन्ट के पिता के नाम पट्टेदार की हैसियत से दर्ज है। नकल खसरा सैटलमेन्ट संवत 2024 के कॉलम नं0 24 में भी उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट के पिता के नाम पट्टेदार की हैसियत से दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की गयी है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से अपील खारिज कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2019 को यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्षों के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील 31 साल बाद 17.06.2013 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिसके साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र व धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. पर भी तहत न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निर्णय भी मूल निर्णय में नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम का निर्णय पृथक से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के पृष्ठ भाग पर किया गया है तो संदेह उत्पन्न करता है तथा उक्त निर्णय भी विवेचनात्मक एवं निष्कर्षात्मक नहीं है। जब कानूनन असल–रेस्पोडेन्टस को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत ही प्रदान नहीं की गयी तो अपील का निस्तारण भी तहत न्यायालय को मैरिट पर नहीं करना चाहिए था, लेकिन तहत न्यायालय ने इस अहम कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। जबकि अपील का निर्णय करने से पूर्व उभयपक्ष को सुनकर ही प्रकरण निरतारण किया जाना आवश्यक होता है। अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2019 को निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार बिन्दुओं पर जांच कर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

5/2/2020

प्रकरण में उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिवत निर्णय पारित किया जावे।

1. मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जावे कि विवादित आराजीयात पर वर्तमान में किसका कब्जा काश्त है। यदि आंवटी/सद्भावी क्रेता का कब्जा काश्त पाया जावे तो नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। यदि आंवटी का कब्जा नहीं पाया जावे तथा आंवटी से भिन्न किसी का भी कब्जा पाये जाये तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जाकर भूमि को कब्जे राज लिया जाकर राजकीय घोषित किया जाने बाबत अग्रिम कार्यवाही की जावे।

2. कस्टोडियन लैण्ड आंवटन नियम 1963 की धारा 5 के अनुसार प्रकरण में राशि किसके द्वारा जमा करवायी गई है को भी ध्यान में रखा जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर